FAX

पत्रांक -I-प्रा0आ0-09/2011/......2274....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

(8)

प्रेषक

रामरूप सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी,

(सभी बाढ़ प्रवण 28 जिले)

पटना-15, दिनांक - 15/7/11

विषय : **बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य में मोटरबोट परिचालन हेतु प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों के मानदेय/ भत्ता के भुगतान के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने के लिए बाढ़ प्रवण जिलों को वर्ष 2009-2010, 2010-11 एवं 2011-12 में FRP/ Inflatable मोटरबोट उपलब्ध कराया गया है। इन मोटरबोटो को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव हेतु परिनियोजित किया जाना है।

आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा गृह रक्षा वहिनी के जवानों को मोटरबोट चलाने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित जवानों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार मोटरबोटो के परिचालन हेतु किया जाएगा। इन प्रशिक्षित जवानों द्वारा मोटरबोटों के परिचालन की दशा में उन्हें परिचालन अवधि के मानदेय/ भत्ते के भुगतान का मामला सरकार के विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मोटरबोटों के परिचालन में गृह रक्षा वाहिनी के जिन प्रशिक्षित जवानों से कार्य लिया जाएगा उनको देय मानदेय/भत्ता का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आबादी निष्क्रमण मद में उपलब्ध करायी गई राशि से किया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,

(रामरूप सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक I-प्रा0आ0-09/2011/ ......2274....../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 15/7/11

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक I-प्रा0आ0-09/2011/ ......2274....../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 15/7/11

प्रतिलिपि: महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सचिव, गृह विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

HP\D:\MHP2011-12\Manak Sanchalan